न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन्, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
08/2020	07.07.2020	06.09.2021

अनवान

1. कमलाबाई पुत्री भैरूलाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. चांदमल पुत्र भैरूलाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. देवीलाल पुत्र भैरूलाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. नारायणलाल पुत्र भैरूलाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. धापुबाई पत्नि भैरूलाल जाति सुथार फौत के बजाय प्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4 है।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ईनायत खा पिता नसीर मोहम्मद आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कासीराम पिता चम्पा जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. वरदा पिता चम्पा जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. शंकर पिता देवजी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. रामेश्वर पिता देवजी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. ईशाक पिता मीर खा मुसलमान आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. प्रेमा पिता देवजी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. भगु पिता देवजी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उचनारकला तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. भेरीबाई पिता पेमा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. हिरालाल पिता देवजी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. भैरूलाल पिता डालुराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 17:49:21 IST
Reason: SelfAttested

12. लेहरूलाल पिता डालुराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. प्रकाशचन्द्र पिता डालुराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. किशनलाल पिता तोलीराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी उचनारकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जाट — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

<u>—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—</u>

<u>—:: निर्णय ::—</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाथी का खेडा पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 148 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 21, 625/12 तथा खाता संख्या 81 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 10, 14, 15, 18, 214 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 10 से 14 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 17:49:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जेर—बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश

दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा नाथी का खेडा पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 148 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 21, 625/12 तथा खाता संख्या 81 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 10, 14, 15, 18, 214 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 17:49:21 IST
Reason: SelfAttested